कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

पत्रांकः 02/सी/क्रय/सुरक्षण/2009–10 दिंनाकः लखनऊ 02–11– 2009

आदेश

दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 इकाई–मोरना, जनपद मुजफ्फरनगर परिक्षेत्र सहारनपुर के पेराई सत्र 2009–10 हेतु प्रस्तुत माँग पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–1244/सी/क्रय/ग0आ0/2009–10 दिनांक16–9–2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त विज्ञप्ति संख्या–1245/सी दिनांक16–9–2009 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–12 (2) के अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान **34.88 ला0कु0** विज्ञापित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्प ट उल्लेख किया गया है कि ''आवश्यकता का निर्धारण उ0 प्र0 गन्ना (पूर्ति एंव खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 के अर्न्तगत उद्देश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुऐ गन्ना उत्पादन/ उपलब्धता से आच्छादित रहेगा।''

विगत पेराई सत्र 2008–09 में दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 इकाई–मोरना, परिक्षेत्र सहारनपुर ने **दिंनाक 17–11–08** को पेराई प्रारम्भ कर **दिंनाक 10–03–09** को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने **113 कार्य दिवसों** में अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध **95.51 ला0कु0** गन्ना उत्पादन में से **26.95 प्रतिशत ड्रॉल** करते हुए **25.74 ला0कु0** गन्ने की पेराई की।

कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आवंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करे एवं ऐसी

प्रबन्धकीय एवं तकनीकी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करे, जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एंव खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 13–9–09 को गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ में आयोजित सुरक्षण बैठक में पेराई सत्र 2009–10 में गन्ना क्षेत्र आवंटन एवं पूर्ति के सम्बन्ध में सहारनपुर परिक्षेत्र की गन्ना समितियों, गन्ना कृ ाकों एवं चीनी मिलों का पक्ष सुना गया।

गत व ाें में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य दर के सम्बन्ध में उठाये गये विवाद, गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब तथा गन्ना विकास कार्यों में अरुचि के कारण गत व ा के सापेक्ष इस व ा गन्ना क्षेत्रफल में गिरावट आई है। इस चीनी मिल के गत व ा के सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में **2.07 प्रतिशत** कमी होना सम्भावित है।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा, गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन के भुगतान की स्थिति, गन्ना समितियों/कृ ाकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत व ाि आवंटित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल में आई कमी तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र में **गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता** को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम **73.82 ला0कु0** गन्ना उत्पादन का आवंटन किया जा सकता है।

इस चीनी मिल क्षेत्र के **जनपद–मुजफ्फरनगर** में गन्ने की औसत उपज **595.44 कुन्तल प्रति हेक्टेयर** है, जो कि पेराई सत्र 2008–09 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये क्रॉप कटिंग के परिणामों पर आधारित है, तथा सभी सम्बन्धित को इस कार्यालय के पत्र संख्या–950/सी/क्रय/ग0आ0 दिनांक–12–06–2009 द्वारा संसूचित की गई है, जिसके आधार पर **73.82 ला0कु0** गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति **कुल 12398 हेक्टेयर** गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों, गन्ना समितियों/गन्ना कृ ाकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने, चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृ टगत रखते हुए मै, **सुधीर एम. बोबडे, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश,** उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा–15 एवं सपठित नियमावली–1954 के नियम–22 एवं ुगर केन कन्ट्रोल आर्डर–1966 की उपधारा–6 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए पेराई सत्र 2009–10 के लिए संलग्न तालिका के खण्ड–1 क में अंकित क्रय केन्द्रों को दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 इकाई–मोरना, जनपद मुजफ्फरनगर को गन्ना पूर्ति हेतु सुरक्षित करता हूँ, तथा खण्ड–2 में इंगित क्रय केन्द्रों को उनके नाम के सम्मुख अंकित निकटवर्ती चीनी मिलो खाईखेडी, खतौली, टिकोला, मन्सूरपुर एवं देवबन्द को अभ्यर्पित करता हूँ तथा आवंटी चीनी मिलों के अध्यासियों को आदेशित करता हूँ कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश–1954 के उपबन्ध–3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारुप–स पर सम्बन्धित गन्ना समितियों से अनुबन्ध अनिवार्य रुप से

सुनिश्चित करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त क्रय केन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निर्देशित करता हूँ कि पेराई सत्र का समापन करने के लिए अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित गन्ना समितियों, जिला गन्ना अधिकारियों तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्तों से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009–10 के लिए जारी किये जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेगें, जब तक की इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किए जाये।

(सुधीर एम. बोबडे)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

<u>टिप्पणी</u>

1— इस व ॅ जिन नये क्रय केन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्रय केन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा क्रय केन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेगें। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि एक कृ ाक के गन्ने की आपूर्ति एक क्रय केन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाय। एक से अधिक क्रय केन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाय।

2— चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्रय केन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्रय केन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती क्रय केन्द्रों से हटाकर दूसरे क्रय केन्द्रों पर सम्बद्ध किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला गन्ना अधिकारी, सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेि ात करेगें।

3— यदि पेराई सत्र 2009—10 में चीनी मिल द्वारा सन्तो ाजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई का व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा जिसे क्रय केन्द्र मूलरुप में आवंटित हुआ है।

4— गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश—1954 के उपबन्ध—3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारुप—स पर अनुबन्ध अनिवार्य रुप से किया जायेगा तथा जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नही करेगी उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5— चीनी मिल उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम—1953 की धारा—17 एवं 18 तथा ुगर केन कन्ट्रोल आर्डर—1966 के खण्ड—3 (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करे अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिल को आवंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा।

6— उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009—10 के लिए जारी किए जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेगें, जब तक इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किए जाय।

(सुधीर एम. बोबडे)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

पृ ठांकन संख्या 02/सी/क्रय/सुरक्षण/2009—10 दिंनाकः लखनऊ 02—11— 2009

प्रतिलिपिः— निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे ित—

1— प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश ाासन, बापू भवन सचिवालय,
लखनऊ।

2— सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रे ित कि उ0प्र0 गन्ना (आपूर्ति एंव खरीद विनियमन) नियमावली 1954 के नियम—23 के अनुसार उक्त आदेश को प्रकाशित कराने का क ट करे।

3— निदेशक, बॉट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4— सम्बन्धित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त।

5— सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त।

6— सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रे ित कि वे क्रय केन्द्रों के चलने की स्थिति के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी एवं

सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिन के अन्दर अर्द्ध ाासकीय पत्र के माध्यम से सूचित करेगें।

7— सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेि ात कि वे क्रय केन्द्रों की चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखेगें तथा यथानिर्दि ट समय के अन्दर क्रय केन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरुद्ध समुचित कार्यवाही अविलम्ब कराते हुए अनुपालन की स्थिति से अधोहस्तारी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायेगें।

8— सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियाँ।

9— अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, **उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई—रोहाना कलां** जनपद—मुजफ्फरनगर, परिक्षेत्र सहारनपुर।

10— अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, अन्य सम्बन्धित चीनी मिलें।

(डा0 कृपाल सिंह)
उप गन्ना आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त,
उ0प्र0।

खण्ड 1(क)

नाम चीनी मिल— दी गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 मोरना (मुजफ्फरनगर)

क्र0 सं0	नाम गन्ना समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी (कि0मी0)	गन्ना क्षेत्रफल (है0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित/अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोरना	मिल गेट	0	12398	73.82	सुरक्षित	
योग				12398	**73.82**		

खण्ड 2

नाम चीनी मिल– दी गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 मोरना (मुजफ्फ्रनगर)

क्र0 सं0	नाम गन्ना समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी (कि0मी0)	गन्ना क्षेत्रफल (है0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित/ अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोरना	मजलिसपुरतौफीर तृतीय	20	243	1.45	अभ्यर्पित	देवबन्द को
2	मोरना	मजलिसपुरतौफीर चतुर्थ	20	243	1.45	अभ्यर्पित	खाईखेडी को
3	मोरना	सीकरी प्रथम	14	259	1.54	अभ्यर्पित	खाईखेडी को
4	मोरना	सीकरी द्वितीय	14	259	1.54	अभ्यर्पित	खाईखेडी को
5	मोरना	सीकरी तृतीय	16	259	1.54	अभ्यर्पित	खाईखेडी को
6	मोरना	पुरषोत्तमपुर (नया)	22	75	0.45	अभ्यर्पित	खाईखेडी को
7	मोरना	बिहारगढ द्वितीय (नया)	22	88	0.52	अभ्यर्पित	खाईखेडी को
8	मोरना	मुशर्फाबाद (नया)	30	126	0.75	अभ्यर्पित	खाईखेडी को
योग				1553	**9.25**		

खण्ड 2

नाम चीनी मिल– दी गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 मोरना (मुजफ्फ्रनगर)

क्र0 सं0	नाम गन्ना समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी (कि0मी0)	गन्ना क्षेत्रफल (है0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित/ अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
9	मोरना	कटिया प्रथम	33	150	0.90	अभ्यर्पित	खतौली को
10	मोरना	तेवडा प्रथम	15	298	1.77	अभ्यर्पित	खतौली को
11	मोरना	तेवडा द्वितीय	15	298	1.77	अभ्यर्पित	खतौली को
12	मोरना	ककरौली द्वितीय	12	151	0.90	अभ्यर्पित	खतौली को

13	मोरना	ककरौली तृतीय	13	151	0.90	अभ्यर्पित	खतौली को
14	मोरना	कटिया द्वितीय	15	150	0.90	अभ्यर्पित	टिकोला को
15	मोरना	ककरौली चतुर्थ	13	151	0.90	अभ्यर्पित	टिकोला को
16	मोरना	योगेन्द्र नगर (नया)	25	100	0.60	अभ्यर्पित	मन्सूरपूर को
17	मोरना	मजलिसपुर तौफीर पंचम	45	243	1.45	अभ्यर्पित	देवबन्द को
18	मोरना	मजलिसपुरतौफीर प्रथम	15	243	1.45	अभ्यर्पित	देवबन्द को
19	मोरना	मजलिसपुरतौफीर द्वितीय	15	243	1.45	अभ्यर्पित	देवबन्द को
20	मोरना	शुक्रताल प्रथम	40	200	1.19	अभ्यर्पित	देवबन्द को
21	मोरना	बिहारगढ प्रथम	42	100	0.60	अभ्यर्पित	देवबन्द को
22	मोरना	बरूकी	35	155	0.92	अभ्यर्पित	देवबन्द को
23	मोरना	ककरौली प्रथम	44	151	0.90	अभ्यर्पित	देवबन्द को
योग				2785	**16.59**		
महायोग				4338	**25.83**		